न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : अरूण पुरोहित आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 159/2019

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1–भोमसिह पुत्र स्व0 हेमसिह 2–प्रेमसिह पुत्र स्व0 हेमसिह 3–हुकमसिह पुत्र स्वा0 हेमसिह 4–मोहनसिह पुत्र स्व0 हेमसिह के कायम मुकाम– 4.1–ईश्वरसिह पुत्र स्व0 मोहनसिह 4.2– किरणकंवर पुत्री स्व0 मोहनसिह 4.3– हिम्मतकंवर पुत्री स्व0 मोहनसिह सभी जाति राजपूत निवासीगण ग्राम मालुंगा तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर 5– शम्भुसिह पुत्र जब्बरसिह 6– नटवरसिह पुत्र जब्बरसिह 7– श्रीमती बीरजकंवर बेवा जब्बरसिह 8– सुगनकंवर बेवा रतनसिह 9– महेन्द्रसिह पुत्र रतनसिह सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम मालुंगा तहसील तिवरी, जिला जोधपुर		श्रीमती सुगनकंवर पुत्री स्व0 विजयसिह धर्मपत्नी मानसिह जाति राजपूत निवासी ग्राम संभाडिया तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध आदेश अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर जो राजस्व अपील संख्या 53/2016 अनवान.श्रीमती सुगनकंवर बनाम भोमसिह वगैरा मे दिनांक 27–6–2019 को पारित किया गया ।

उपस्थिति:–

1–श्री गुलाब सिह चंपावत अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–श्री सत्यनारायण राजपुरोहित अधिवक्ता रेस्पो0 की ओर से ।

निर्णय

दिनांक 25–01–2021

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील की रेस्पो0 श्रीमती सुगनकंवर ने ग्राम मालुंगा पटवार मण्डल मालुंगा के नामांतरकरण संख्या 272 स्वीकृति दिनांक 6–1–89 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर के समक्ष इस आशय की प्रथम अपील पेश की कि वह उक्त नामांतरकरण मे वर्णित भूमि के सहखातेदार विजयसिह की एक मात्र विधिक वारिस तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के तहत प्रथम श्रेणी की वारिस है परंतु उसके पिता के फोत होने पर विजयसिह एवं भीमसिह को ला–औलाद फोत होना बताते हुए उनके हिस्से की खातेदारी की भूमि का म्युटेशन हेमसिह पुत्र रामसिह के नाम स्वीकृत कर दिया, जो विधिविरूद्ध होने से उसे निरस्त करने का निवेदन किया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2019 के द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 272 ग्राम

मालुंगा को निरस्त कर प्रकरण हाल तहसीलदार तिवरी को स्व0 विजयसिह एवं स्व0 भोमसिह के हिस्से की भूमि स्व0 विजयसिह की पुत्री अथार्त अपीलांट के नाम नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित कर दिया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये उक्त निर्णय के विरूद्ध वर्तमान द्वितीय अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित । वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई । अपीलांट अधिवक्ता ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 272 जो कि दिनांक 6–1–89 को स्वीकृत किया गया था उसके लगभग 27 वर्ष के विलंब से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रथम अपील पेश की जो पूर्णतया मयाद बाहर होने से खारीज योग्य थी, वकील अपीलांट ने कथन किया रेस्पो0 को अपीलाधीन म्युटेशन की जानकारी प्रारंभ से ही थी परंतु वह 27 वर्ष तक चुप बेठी रही और किसी सक्षम न्यायालय मे कोई कार्यवाही नही की गई जिससे यह स्पष्ट है कि अपीलाधीन म्युटेशन स्वीकृति मे रेस्पो0 की मौन स्वीकृति थी तथा यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे विलंब को क्षमा करने बाबत धारा 5 मयाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र मे जो कारण दर्शाये गये है वह संतोषजनक नही होने से अधीनस्थ न्यायालय को उनके समक्ष प्रस्तुत प्रथम अपील को मयाद के बिन्दु पर ही खारीज कर देनी चाहिये थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु को तय किये बिना ही अपील को मेरिट पर निर्णित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये निर्णय मे दिये गये विवेचन को पढकर सुनाया तथा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा ग्राम मालुंगा के नामांतरकरण संख्या 272 को निरस्त किया जाकर स्व0 विजयसिह एवं स्व0 भोमसिह की पुत्री अथार्त वर्तमान रेस्पो0 के नाम उक्त नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए रेस्पो0 को खातेदार घोषित कर दिया जबकि म्युटेशन की सरकारी कार्यवाही के जरिये खातेदारी अधिकार प्रदत्त नही किये जा सकते है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे यह भी कथन किया कि म्युटेशन की समरी कार्यवाही मे किसी व्यक्ति के हक व अधिकार तथा उतराधिकार एवं गोद जैसे विवादित बिन्दु तय नही होते, यदि रेस्पो0 अपीलाधीन भूमि मे अपना हक अधिकार मानती है तो उसे सक्षम न्यायालय मे दावा पेश करके ही कानूनन अपने अधिकारो का निर्धारण करवा सकती थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान पर ध्यान दिये बिना अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस के दौरान यह भी कथन किया कि रेस्पो0 म्युटेशन कार्यवाही मे पक्षकार नही थी तथा रेस्पो0 ने उक्त म्युटेशन संख्या 272 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत अपील के साथ अपील पेश करने की अनुमति

प्रार्थना पत्र धारा 96 सीपीसी का पेश नही किया गया था परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी प्रावधान को नजरअंदाज करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त योग्य है ।

वकील अपीलांट ने यह भी कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त प्रकरण तहसीलदार को रिमाण्ड करना चाहिये था तथा रिमाण्ड आदेश मे यह निर्देश देना चाहिये था कि रेस्पो0 सुगनकंवर विजयसिह के वारिसान है या अन्य और वारिसान है, इसकी जांच कर उन्हे सुनवाई का अवसर दिये जाने के बाद पुनः नये सिरे से म्युटेशन स्वीकृत करें परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय के द्वारा सीधे ही उनके हक हिस्से निर्धारित किये बिना रेस्पो0 सुगनकंवर का नाम सहखातेदारी मे दर्ज करने का आदेश पारित कर दिये इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–19 को निरस्त कर रेस्पो0 सुगनकंवर को अपने खातेदारी अधिकार निर्धारित करने के लिए सक्षम न्यायालय मे खातेदारी घोषणा का दावा पेश करने के निर्देश पारित करने का निवेदन किया । वकील अपीलांट ने अपनी उक्त बहस के समर्थन मे 2010 आर.आर.टी.(2) पेज 1222, आर.आर. डी. 2019 पेज 300, आर.आर.डी. 2010 पेज 281, आर.आर.डी. 2003 पेज 415, आर.आर. डी. 2019 पेज 300, आर.आर.टी. 2011(1) पेज 421, आर.आर.टी. 2012(1) पेज 101, आर. आर.डी. 1993 पेज 44, आर.आर.डी. 2006 पेज 569, आर.आर.डी. 1984 पेज 261 की निर्णय नजीरें पेश की ।

वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय को विधिसम्मत बताते हुए तथा अपीलांट अधिवक्ता की बहस के प्रत्युत्तर मे कथन किया कि रेस्पो0 श्रीमती सुगनकंवर जो कि मृतक खातेदार विजयसिह की जायंदा पुत्री है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस जीवित होते हुए उसे उसके पिता एवं उसके काका भीमसिह के खातेदारी की भूमि से वंचित रखते हुए उक्त म्युटेशन संख्या 272 हेमसिह पुत्र रामसिह जो दूर के रिश्तेदार थे, उनके नाम स्वीकृत कर दिया था जो प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण एवं शून्य एवं वॉईड एब इनिश्यो था इसलिए ऐसे त्रुटिपूर्ण एवं वॉईड एब इनिश्यो आदेशो के विरूद्ध अपील पेश करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत अपील के साथ मेने धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र पेश किया था ऐसे मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपील के गुणावगुण पर विचार करते हुए अपीलाधीन निर्णय मे यदि मयाद सुमार करने का उल्लेख नही भी किया है तो वह आदेश नेचुरल जस्टिस के सिद्धान्त के मध्यनजर अन्दर मयाद सुमार करते हुए पारित किया हुआ ही भाना जायेगा ।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस मे दौरान कथन किया कि माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय एवं माननीय राजस्व मण्डल द्वारा पारित विभिन्न न्यायिक निर्णयो मे यह अभिनिर्धारित किया है कि जहां प्रकरण गुणावगुण पर प्रबल हो तो पक्षकार

को मयाद जैसे तकनिकी बिन्दु के आधार पर न्याय से वंचित नही रखना चाहिये इसलिए अर्धनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय गुणावगुण पर पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने कथन किया कि रेस्पो0 सुगनकंवर तो मृतक खातेदार विजयसिह की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस तथा नेचुरल सक्सेसर होने से उसे अपने पिता के हिस्से की खातेदारी की भूमि के संबंध मे त्रुटिपूर्ण स्वीकृत किये गये नामांतरकरण के विरूद्ध अपील पेश करने के लिए न्यायालय से अनुमति की आवश्यकता ही नही थी तथा यह भी कथन किया कि रेस्पो0 का अपीलाधीन भूमि मे उसके जन्म से ही अधिकार सृजित हो चुके थे इसलिए उसे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे खातेदारी अधिकारो के घोषणा करवाने की आवश्यकता नही है । उक्त तमाम बिन्दुओ के मध्यनजर अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के दौरान यह भी प्रकट किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना मे रेस्पो0 के पक्ष मे अपीलाधीन भूमि के संबंध मे नामांतरकरण भी स्वीकृत हो चुका है तथा रेस्पो0 का नाम राजस्व रेकर्ड मे इन्द्राज हो चुका है इसलिए भी अपीलांट की उक्त अपील निष्प्रभावी हो चुकी है ।

वकील रेस्पो0 ने अपनी बहस के समर्थन मे आर.आर.डी.2009 पेज 195, आर.आर.डी 1998 पेज 465, आर.आर.डी. 1989 पेज 45, आर.आर.डी. 2009 (2) पेज 1102, आर.आर. डी. 1998 पेज 319, ए.आई.आर.1999 सु.को. पेज 2583, ए.आई.आर. सु.को. पेज 2089 तथा जमाबंदी संवत 2072–275 ग्राम मालुंगा की सत्य प्रतिलिपी पेश की जिसमे रेस्पो0 के पक्ष मे म्युटेशन संख्या 52 दर्ज हो चुका है । अंत मे वकील रेस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नही होने से अपीलांट की उक्त अपील को खारीज करने का निवेदन किया ।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2019 का अवलोकन एवं अध्ययन किया तथा पक्षकारान के अधिवक्ताओं द्वारा उनकी बहस के समर्थन मे प्रस्तुत निर्णय नजीरो का भी ध्यानपूर्वक अध्ययन किया ।

ग्राम मालुंगा पटवार मण्डल मालुंगा के नामांतरकरण संख्या 272 मे वर्णित भूमि के सहखातेदार विजयसिह को ला–औलाद फोत होना बताते हुए उनके हिस्से की खातेदारी की भूमि का म्युटेशन हेमसिह पुत्र रामसिह के नाम स्वीकृत कर दिया, जबकि रेस्पो0 सुगनकंवर मृत खातेदार विजयसिह की जांयदा पुत्री है इस तथ्य को अपीलांट भी स्वीकार करते है । उक्त म्युटेशन संख्या 272 के विरूद्ध वर्तमान रेस्पो0 सुगनकंवर पुत्री विजयसिह की ओर से अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 27–3–2019 के द्वारा स्वीकार करते हुए तहसीलदार ओसियां द्वारा स्वीकृत नामांतरकरण संख्या 272 को निरस्त कर तहसीलदार को स्व0 विजयसिह व स्व0 भोमसिह के हिस्से की भूमि स्व0 विजयसिह की विधिक वारिस पुत्री के नाम नामांतरकरण दर्ज करने का

आदेश पारित कर दिया, जिससे व्यथित होकर हेमसिह के विधिक वारिसान की ओर से वर्तमान द्वितीय अपील मे मुख्य कथन यह है कि वर्ष 1989 मे स्वीकृत हुए नामांतरकरण संख्या 272 के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे लगभग 27 वर्ष विलंब से अपील पेश की थी परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने मयाद के बिन्दु पर निर्णय किये बिना ही अपील को स्वीकार कर अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 272 को निरस्त करने मे विधिक भूल की है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त योग्य है ।

इस संबंध मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि रेस्पो0 सुगनकंवर मृतक खातेदार विजयसिह की जांयदा पुत्री है तथा मृत खातेदार भोमसिह जो लाऔलाद फोत हुआ उसकी भी सगी भतीजी है, इस तथ्य का अपीलांट ने कोई खण्डन नही किया है । हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 के प्रावधान अनुसार रेस्पो0 सुगनकंवर मृतक खातेदार विजयसिह की प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होते हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 272 की पुष्ठ पर विजयसिह को भी लाऔलाद बताते हुए उक्त म्युटेशन वर्तमान अपीलांटगण के पिता हेमसिह पुत्र रामसिह के पक्ष मे स्वीकृत कर दिया जबकि मृतक विजयसिह के एकमात्र जायंदा पुत्री जीवित है इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन प्रारंभ से ही शून्य होने से अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त म्युटेशन संख्या 272 को निरस्त करने एवं रेस्पो0 सुगनकंवर जो कि मृतक खातेदार विजयसिह एवं भोमसिह की विधिक वारिस होने से उसके नाम उक्त नामांतरकरण दर्ज करने का जो आदेश पारित किया है, वह विधिसम्मत होने से उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना न्यायोचित प्रतीत नही होता है ।

इसके अलावा यह भी उल्लेखनीय है कि अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 272 जो प्रांरभ से ही विधिविरूद्ध, त्रुटिपूर्ण एवं एब इनिश्यो वॉइड था तो ऐसे आदेशो के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने मे मयाद का बिन्दु गौण हो जाता है तथा ऐसे आदेशो को कभी भी चुनौती दी जा सकती है जैसाकि वकील रेस्पो0 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक निर्णय नजीरो मे भी यह अभिनिर्धारित किया गया है ।

वर्तमान मामले मे अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील के गुणावगुण पर विवेचन करते हुए अपील को स्वीकार करते हुए वर्ष 1989 मे स्वीकृत हुए अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 272 को त्रुटिपूर्ण मानते हुए उसे निरस्त करने का आदेश पारित किया है तो उक्त आदेश अपील को अंदर मयाद सुमार करते हुए पारित किया हुआ माना जायेगा ।

अपीलांट अधिवक्ता का यह कथन कि रेस्पो0 अपीलाधीन म्युटेशन मे पक्षकार नही थी इसलिए अधीनस्थ न्यायालय मे अपील पेश करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र पेश किये बिना प्रस्तुत अपील खारीज योग्य थी । अपीलांट के इस कथन के संबंध मे यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपीलार्थियां जो कि मृतक खातेदार विजयसिह की जायंदा पुत्री है तथा हिन्दु उतराधिकार अधिनियम के प्रावधान अनुसार प्रथम श्रेणी की विधिक वारिस होने से जैसे ही उसके पिता का देहांत हुआ तो उसके पिता के हिस्से की खातेदारी भूमि मे उसके अधिकार स्वतः ही सृजित हो चुके थे इसलिए अपीलाधीन म्युटेशन के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय मे अपील प्रस्तुत करने की अनुमति बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता नही थी ।

इन तमाम तथ्यो पर एवं अपील के गुणावगुण पर विवेचन करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया है, उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नही समझते है ।

इसके अलावा वर्तमान अपील मे रेस्पो0 अधिवक्ता द्वारा बहस के दौरान प्रस्तुत राजस्व रेकर्ड अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2019 की पालना मे रेस्पो0 सुगनकंवर के पक्ष मे नामांतरकरण भी स्वीकृत होकर राजस्व रेकर्ड जमाबंदी मे उसके नाम का इन्द्राज हो चुका है तथा रेस्पो0 ने अपने हिस्से की खातेदारी भूमि बैंक मे रहन भी रख दी है ।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील सारहीन होने से खारीज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय अपर जिला कलेक्टर (द्वितीय) जोधपुर द्वारा पारित किया गया अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27–6–2019 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 25–01–2021 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

25.1.21

(अरूण पुरोहित)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर